ards already provide that beer shall be free from any ingredients injurious to health.

Kitchen Facilities in Hospitals

2859. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have provided kitchen facilities in all the major hospitals in the capital;

(b) if so, what are the details there of;

(c) whether kitchen facilities in hospitals have been provided with, modem equipments and hygenic conditions;

(d) whether trained personnel have been appointed in these hospitals;

(e) if so, what type of training or diploma is necessary for appointment in kitchen services of these hospitals.

(f) whether Government have received any complaint regarding the kitchen services of the hospitals in the capital during the last three years; and

(g) if so, what action Government have taken thereon and also to improve kitchen services in the hospitals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH ANT> FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) Yes, Sir. All major hospitals in capital are providing kitchen facilities to the indoor patiens.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) The Dietician is required to be Post-Graduate Diplom$_a$ holder in Dietetics & Nutrition. The other staff such as Cooks, Masalchi, Bearers are required to possess working experience in the kitchen.

(f) No, Sir.

(g) Does not arise.

कारोनरी बाई-पास-सर्जरी के लिए वसूल किया जाने वाला खर्च

2860. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा रोगियों से कारोनरी बाईपास सर्जरी के लिए वसूल किया जाने वाल खर्च जी. बी. पंत अस्पताल, दिल्ली, मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास और ग्रांट मेडिकल कालेज, बंबई जैसे अन्य सरकारी अस्पतालों/ मेडिकल कालेजों की तुलना में अधिक होता है और यदि हां, तो उक्त अस्पतालों में प्रत्येक रोगी से वसूल किया जाने वाला मदवार खर्च का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि क्या सरकार को अगस्त और अक्तूबर, 1991 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों से अधिक खर्च वसूल करने के संबंध में एक संसद सदस्य की ओर से दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो उन पत्रों तथा उनके अनुलग्नकों में अंतर्विष्ट शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल ही में कारोनरी सर्जरी विभाग के एक कर्मचारी के पास से तलाशी के दौरान कई लाख रुपये की बेहिसाब धनराशि बरामद की गई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या यह मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल सामान्य वार्ड में दाखिल किए गए रोगियों से कारोनरी

बाइपास सर्जरी के लिए कोई पैसा नहीं लेता । प्राइवेट वार्ड में दाखिल किए गए रोगियों से आपरेशन प्रभारों के रूप में पांच हजार रुपये की धनराशि ली जाती है । वैसे, सभी रोगियों को कारोनरी बाई-पास सर्जरी के दौरान उपयोग की गई डिस्पोजेबल मदें प्रदान करने की आवश्यकता होती है । जहां तक जी. बी. पन्त अस्पताल का संबंध है, सामान्य वार्ड में दाखिल किए गए रोगियों से कारोनरी बाई-पास सर्जरी के लिए कोई धनराशि नहीं ली जाती है। वैसे, यदि रोगी को उपचर्या-गृह में दाखिल किया जाता है, तो उक्त शल्य चिकित्सा के लिए केवल तीन सौ रुपये की धनराशि ली जाती है ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सी.टी.वी.एस. विभाग द्वारा डाभिया धर्मार्थ न्यास को अप्रयुक्त पैसे को वापिस न करने के बारे में माननीय संसद सदस्य से 27-8-91 और 7-11-91 को शिकायतें प्राप्त हुई थीं । वैसे ये शिकायतें अधिक पैसा लेने से संबधित नहीं थी बल्कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सी.टी.वी.एस. विभाग द्वारा कथित वित्तीय अनियमितता से संबंधित थीं । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस मामले का अब निपटान कर दिया गया है और इस चूक के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि लिपिक वर्गीय स्टाफ का एक सदस्य जो सी.टी.वी.एस. रोगियों के लिये रोपण और अन्य उपभोज्य सामग्री की व्यवस्था करने का कार्य कर रहा था, रोगियों द्वारा जमा की गई लगभग 5 लाख रुपये की नकद धनराशि उनके पास पाई गई जिसके बारे में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। उसे 26-9-91 को निलंबित कर दिया गया है और एक समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इस लेन देन से संबंधित लेनदारों और देनदारों तथा संपत्तियों और परिसंपत्तियों के ब्यौरों का हिसाब लागने और उनका मिलान करने के लिये इस संस्थान द्वारा एक दूसरी समिति का गठन किया गया है । इस मामले को पुलिस को सौंपने अथवा विभागीय जांच का आयोजन करने के लिये कोई निर्णय लेने से पहले इन ब्यौरों का पता लगाये जाने की आवश्यकता है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़ताल

2861. **श्री अमन्तराम जायसवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियो थोरेसिस वैस्कुलर सर्जरी संकाय तथा उस विभाग के विरुद्ध रेजिडट डाक्टरों की पिछली हड़ताल से संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों और अन्य मामलों के बारे में सरकार ने अगस्त, 1991 में कोई जांच किये जाने का आदेश दिया था; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त जांच कार्य को पूरा कर लिया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और यदि नहीं, तो इस समय यह किस चरण में है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। विचारार्थ विषय से संबंधित केवल एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और शेष विचारार्थ विषयों की जांच चल रही है।

2862. *[Transferred to the 19th December,* 1991]